5/20 [illegible] बनाम [illegible] वगैरह

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-11-2020 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15-12-2020 को पेश हो। [signature] रीडर	
15-12-2020 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13-1-2021 को पेश हो। [signature] रीडर	
13-1-2021 वकील प्रार्थी व लैण्डहोल्डर उप०। उभयपक्ष को सुना गया। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 11-2-2021 को पेश हो। [signature]	
11-2-2021 वकील प्रार्थी व लैण्ड होल्डर उप०। प्रा० पत्र 136 L.A. Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:52:55 IST
Reason: SelfAttested

11.2.2021

...राज पुत्र जती, मीना निवासी अरनिया तह0 गंगापुर सिटी
...नराज पुत्र जती, मीना निवासी अरनिया तह0 गंगापुर सिटी
नरेन्द्र पुत्र जती, मीना निवासी अरनिया तह0 गंगापुर सिटी
आशा पुत्री जती, मीना निवासी अरनिया तह0 गंगापुर सिटी
शिमला पुत्री जती, मीना निवासी अरनिया तह0 गंगापुर सिटी
शीला पुत्री जती, मीना निवासी अरनिया तह0 गंगापुर सिटी
बरफी देवी पत्नी जती, मीना निवासी अरनिया तह0 गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

...रकार जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

...उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम खान, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता एवं 7 के पति जति पुत्र छाज्या, मीना निवासी अरनिया तह0 गंगापुर सिटी का दिनांक 2.2.2019 को देहान्त हो गया है। प्रार्थीगण उनके वारिस है। भूमि हॉल ख0न0 206 रकबा 1.28 है0 ग्राम अरनिया मे स्थित है लेकिन उक्त भूमि मे जति के पिता का नाम गलत रूप से मुरली अंकित कर दिया गया है जबकि मुरली उनका उपनाम था तथा समस्त रिकार्ड मे भूमि ख0न0 325, 388, 389, 520, 559, 813, 816, 937 स्थित ग्राम अरनिया मे जती के पिता का नाम छाज्या अंकित है। समस्त रिकार्ड मे भी जती के पिता का नाम छाज्या अंकित है लेकिन भूमि ख0न0 206 मे जती के पिता का नाम मुरली अंकित कर दिया है जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। गलत नाम जती पुत्र मुरली अंकित रहने से उक्त खसरा नम्बर मे प्रार्थीगण की विरासत दर्ज नही की जा रही है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि हॉल खसरा नम्बर 206 ग्राम अरनिया मे जती पुत्र मुरली की बजाय जती पुत्र छाज्या दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 73, खाता संख्या 72 ग्राम अरनियॉ, प्रमाणित प्रतिलिपि फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.9.2019, सरपंच ग्राम ... प्रमाण पत्र, फोटोकोपी आधार कार्ड, फोटोकॉपी वोटर आईडी कार्ड, ... राशनकार्ड, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को ... किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 18:52:55 IST
Reason: SelfAttested

...स्टर
...मा०)

बंदोबस्त पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है जो जती पुत्र मुरली के नाम ही अंकित हुई है। ग्राम अरनिया मे खातेदार जती पुत्र छाज्या व जती पुत्र मुरली की भूमि पर ऋषिराज, प्रेमराज, नरेन्द्र पुत्र जती काबिज है। मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का बाढकलॉ, सरपंच ग्राम पंचायत बाढकलॉ एवं प्रार्थी ऋषिराज वगैरा के शपथ पत्र के आधार पर ग्राम अरनिया मे जती नाम का एक ही व्यक्ति था जिसकी राजस्व रिकार्ड मे दो अलग अलग खातो मे वल्दियत छाज्या/मुरली दर्ज है। जती पुत्र छाज्या व जती पुत्र मुरली एक ही व्यक्ति है।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम जती पुत्र छाज्या है जिसे राजस्व जमाबंदी खाता संख्या 73 में जती पुत्र मुरली दर्ज किया हुआ है इसे सही किया जाकर जती पुत्र मुरली के स्थान पर जती पुत्र छाज्या अंकित किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम जती पुत्र छाज्या होना पाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता संख्या 73 ग्राम अरनिया में प्रार्थीगण के पिता का नाम जती पुत्र छाज्या कराने के अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम अरनिया की जमाबंदी सं0 2070 से 2073 के खाता संख्या 73 में दर्ज प्रविष्टि "जती पुत्र मुरली" के स्थान पर प्रविष्टि "जती पुत्र छाज्या" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.2.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उपजिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:52:55 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)